संख्या :1/2018/ 321/28-1-2018-17(9)/2008टी0सी0

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक : 27 सितम्बर, 2018

विषय : उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या जी0आई0-15/28-1-2017-17(9)/2008टी0सी0, दिनांक 09/14 नवम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग की अधिसूचना/संशोधन संख्या 194/28-1-2009, दिनांक 04 फरवरी, 2009 में दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा से सम्बन्धित प्रावधानों के बिन्दु संख्या (ढ) में दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् है-

> "... समायोजन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले शासकीय सेवकों को संविलियन करते हुये उनकी ज्येष्ठता दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से निर्धारित की जायेगी।"

3- सम्यक विचारोपरान्त दाम्पत्य नीति एवं चिकित्सकीय व्यथा नीति के आधार पर पुनरावंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण एक समान किये जाने के दृष्टिगत सन्दर्भगत् शासनादेश संख्या जी0आई0-15/28-1-2017-17(9)/2008टी0सी0, दिनांक 09/14 नवम्बर, 2017 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दाम्पत्य नीति (स्पाउस पॉलिसी) के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 के उक्त प्रावधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसार ही विषयगत चिकित्सकीय व्यथा नीति (मेडिकल हार्डशिप पॉलिसी) के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

कृपया विषयगत मामलों में उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 1/2018/321(1)/28-1-2018-17(9)/2008टी0सी0, तद् दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) प्रमुख सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(3) अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, ख़ान मार्केट, नई दिल्ली।
(4) निदेशक (एस0आर0), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, ख़ान मार्केट, नई दिल्ली।
(5) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(6) पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ।
(7) स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
(8) अध्यक्ष, परामर्शीय समिति/संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, ख़ान मार्केट, नई दिल्ली।
(9) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(10) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(11) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(12) अपर स्थायी अधिवक्ता, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(13) अपर स्थायी अधिवक्ता, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(14) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(15) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।